UNOFFICIAL TRANSLATION
Prepared, with thanks, by UNV Online Volunteers

सुरक्षा परिषद

Distr: General
09 December 2015

संकल्प 2250 (2015)

अपनी 7573वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 9 दिसंबर 2015 को अपनाया गया

सुरक्षा परिषद,

महिलाओं, शांति और सुरक्षा तथा इसके अध्यक्ष के सभी प्रासंगिक बयानों पर अपने प्रस्तावों 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) और 2242 (2015) को याद करते हुए , आतंकवाद से मुकाबला करने के अध्यक्ष के प्रस्तावों 2178 (2014) और 2195 (2014) को याद करते हुए और अध्यक्ष के वक्तव्य S / PRST / 2015/11, और अध्यक्ष के बयान S / PRST / 2012/29 और S / PRST / 2015/2, संघर्ष के बाद शांति स्थापना ,

सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर इसके प्रस्तावों 1265 (1999) और 1894 (2009) को याद करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के के चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतो को तथा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देने योग्य बात है कि इस शब्द युवाओं को 18-29 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के रूप में इस प्रस्ताव के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, आगे ध्यान रखने योग्य बात किया है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शब्द की परिभाषा को परिवर्तन किया जा सकता है महासभा के प्रस्ताव A/RES/50/81 & A/RES/56/117,

ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज युवाओं की आबादी पहले से कहीं ज्यादा है लेकिन आज युवा वर्ग सबसे ज्यादा उन देशो में है जो संघर्ष से जूझ रहे हैं,

चिंता जनक बात यह है कि नागरिकों में युवा वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव सशस्त्र संघर्ष का पड़ा है शरणार्थी तथा अपने स्थान से विस्थापित होने के कारण युवा वर्ग को शिक्षा तथा आर्थिक अवसर नहीं मिल पाने से शांति एवं सामंजस्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है युवाओं के महत्व तथा शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को एवं सकारात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए,

युवाओं द्वारा संघर्ष के विरुद्ध निभाई गई भूमिका तथा उनकी निरंतरता ,समग्रता, एवं शांति के निर्माण एवं संरक्षण में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए,

यह देखते हुए कि युवाओं को शांति बनाने न्याय एवं सामंजस्य स्थापित करने में व्यस्त रखना चाहिए युवा वर्ग एक विशेष जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो कि शांति तथा आर्थिक समृद्धि में सहभागिता देती है,

यह ध्यान में रखते हुए कि कट्टरता हिंसा और हिंसक उग्रवाद को बढ़ाती है जो कि युवाओं के स्थायित्व और विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं शांति निर्माण में किए गए प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं आज पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए कट्टरता से हिंसा हो सकती है और हिंसक उग्रवाद युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जाता है,

आतंकवाद तथा उनकी सहायक सूचना एवं संचार तकनीकों जैसे इंटरनेट द्वारा युवाओं की भर्ती तथा उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए भड़काना वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है आर्थिक योजनाओं तथा उनकी गतिविधियों की तैयारी के लिए राज्यों के सदस्यों को एकजुटता से तकनीक तथा संचार के साधनो को आतंकी गतिविधियों से बचाना होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता को भी ध्यान रखना होगा,

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि युवाओं की हिंसक उग्रवाद जो आतंकवाद का सहयोगी हो सकता है उसके खिलाफ भूमिका युवाओं को प्रेरणा स्त्रोत बना सकती है तथा युवा सामाजिक आर्थिक विकास और क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं,

ध्यान देने योग्य बात यह है कि महासचिव हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें युवाओं की एकता ,उनके योगदान, नेतृत्व तथा सशक्तिकरण को प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीतियों तथा प्रतिक्रियाओं से जोड़ा गया है,

ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व की कार्य योजना युवाओं के लिए बन रही है जिसमें शांति निर्माण के कार्य में युवाओं के योगदान को सिद्धांतिक रुप से निर्देशित किया गया है August 2015 को युवाओं शांति सुरक्षा के वैश्विक मंच से युवाओं शांति एवं सुरक्षा की, September 2015 में वैश्विक युवा सम्मेलन हिंसक उग्रवाद के खिलाफ विषय पर रहा जिसका उद्देश्य हिंसक उग्रवाद को रोकना शांति को बढ़ावा देने के साथ-साथ साथ युवाओं के लिए ऐसी भूमिका का निर्धारण करना था जो कि युवाओं को संघर्ष तथा उसके बाद शांति को बनाए रखने में सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा दे,

राष्ट्रीय सरकारों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा युवाओं को शांति व्यवस्था के निर्माण करने तथा शांति बनाए रखने के कार्य की प्रशंसा करते हुए,

सदस्य राज्यों को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य पद्धति को मानने के लिए बढ़ावा देते हुए जिसमें संघर्ष की रोक ,दीर्घकालिक स्थिरता ,एवं सदस्य शांति बनाने की बात है इसमें मुख्यता पहचान का महत्व तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक असहिष्णुता के साथ-साथ हिंसक उग्रवाद जो आतंकवाद के लिए अनुकूल हो सकता है सबको संघर्ष का चालक माना गया है,

यह भी देखते हुए की संघर्ष तथा संघर्ष के बाद युवाओं का संरक्षण, शांति व्यवस्था में तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन में बड़ा योगदान रहता है और इस बात को भी मानते हुए सशस्त्र संघर्ष के दौरान युवाओं का महत्व है जो युवाओं सहित नागरिकों के संरक्षण में योगदान देता है संघर्ष को रोक सकता है तथा शांति बना सकता है,

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कि रोम संविधि के संगत प्रावधानों का जिक्र करते हुए ,

सहभागिता

1. सदस्य राज्यों से निवेदन है कि युवाओं का स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सभी स्तरों में महत्वपूर्ण योगदान हो तथा संघर्षों को रोकने एवं उसके समाधान में युवाओं की निर्णायक भूमिका हो जैसे कि किसी प्रेरक संस्था एवं उस की क्रिया विधि के द्वारा हिंसक उग्रवाद जो आतंकवाद के अनुकूल हो सकता है उसे रोकना तथा युवाओं की शांति व्यवस्था बनाने एवं विवादों के निराकरण में सहभागिता के लिए एकीकृत तंत्र की स्थापना करना,

2. सभी संबंधित जनों को बुलाकर स्वर तक की गई तथा शांति समझौतों को लागू करने को कहा गया एवं युवाओं के विचारों के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना कि उनकी प्रभावहीन था सतत् शांति व्यवस्था के लिए हानिकारक है इस से बचाने के उपाय निम्न हैं

अ) देश-प्रत्यावर्तन, पुन: स्थापन पुनर्वास पुनः एकीकरण तथा संघर्ष के बाद पुनः निर्माण के समय युवाओं की आवश्यकता,
ब) स्थानीय युवाओं द्वारा शांति पहल तथा संघर्षों के समाधान की प्रक्रिया तथा शांति समझौतों की क्रिया विधि का क्रियांवयन और उसके लिए किए गए उपाय,
स) युवाओं के शांति निर्माण एवं संघर्ष समाधान में सशक्तिकरण के उपाय,

3. सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण मिशनों पर जोर देते हुए जिस में युवाओं को ध्यान में रखा गया है एवं स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय युवाओं के समूह से परामर्श लिया गया है,

सुरक्षा

4. सशस्त्र संघर्ष करने के लिए सभी दलों का आह्वान करती है उन पर लागू दायित्वों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक हैं जो उन लोगों के युवाओं को भी शामिल हैं, के साथ कड़ाई से पालन करने के लिए, उन पर लागू दायित्वों 1949 की जेनेवा कन्वेंशनों के तहत और अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1977 सहित ,

5. राज्यों को कहा गया है. कि दायित्वों 1,951 कन्वेंशन के तहत शरणार्थी की स्थिति और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित बहां के साथ पालन करने के लिए, 1979 के महिला एवं वैकल्पिक प्रोटोकॉल बहां के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1999 और कन्वेंशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सहित

6. सदस्य राज्यों को कहा गया है कि नियमों का पालन हो उन लोगों को जांच तथा अभियोग के लिए फिर से बुलाया जाए जो नरसंहार मानवता के खिलाफ अपराधों युद्ध तथा अन्य अपराधों जो नागरिकों के खिलाफ उत्पन्न हो रहे हैं उनके दोषी हैं जिसमें युवा भी शामिल है इस बात का ध्यान रखा जाए दंड मुक्ति का विरोध अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है इसे दूर करने के लिए कार्य तथा अभियोगों के द्वारा तदर्थ राष्ट्रीय अपराध न्यायालय तथा मिश्रित अधिकरण विशेष चैंबर के प्रॉसिक्यूशन की आवश्यकता होती है

7. सभी दलों को संबोधित करके कहा गया है कि यौन तथा लैंगिक हिंसा के खिलाफ नागरिकों एवम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए जाने हैं,

8. यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत आए युवाओं सहित सभी नागरिकों के मानव अधिकारों का सम्मान करें जो कि उनके नया क्षेत्र के कानून का पालन करता हो यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नरसंहार, युद्ध अपराध, अनैतिकता तथा मानवता के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने का कार्य राज्य द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा,

9. सदस्य राज्यों से निवेदन है कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद में युवाओं एवं नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन के उपाय किया जाए

निवारण

10. सदस्य राज्यों से निवेदन करते हुए हैं की विभिन्न पृष्ठभूमि से आए युवाओं को पहचान की जाए अच्छा वातावरण दिया जाए तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर हिंसा खत्म की जाए,

11. ऐसी नीतियों पर जोड़ देते हुए जिसमें युवा शांति बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दें तथा ऐसी परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग दिया जाए जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी मिल

सके युवाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा युवा उद्यमिता एवं राजनीतिक योगदान सकारात्मक बने,

12. सदस्य राज्यों से निवेदन करते हुए कि युवाओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान हो जिससे वह नागरिक संरचना एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में सकारात्मक भूमिका दें,

13. सभी संबंधित लोगों को याद करते हुए कहा गया कि शांति, संस्कृति ,सहिष्णुता के लिए संवादो जिसमें युवाओं की भूमिका हो तथा जिसके माध्यम से हिंसा, आतंकवाद, अज्ञानजनभीति तथा सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म किया जा सके,

सहभागिता

14. सदस्य राज्यों से निवेदन करते हुए कि अपने राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी तथा संसाधन को उचित प्रकार से सहयोग देकर बढ़ाया जाए ताकि युवाओं की भागीदारी शांति में तथा संघर्ष और संघर्ष के बाद बनी रहे वह जो संबंधित विधियों तथा कार्यक्रमों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहायता कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UN WOMEN तथा शरणार्थियों के मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य निकायों में क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत लोगों की सहभागिता,

15. शांति स्थापना में युवाओं की भूमिका पर जो डालते हुए तथा उन कारकों के बात करते हुए जो उग्रवाद कट्टरता को हिंसा में बदल देता है और आतंकवाद की सहायक होती है तथा युवाओं को शांति के प्रयासों में उचित ढंग से लगाए रखने की सिफारिश की गई है,

16. सदस्य राज्यों को स्थानीय समुदायों तथा गैर-शासकीय सदस्यों को हिंसक उग्रवाद जो आतंकवाद को बढ़ावा दे उसके खिलाफ रणनीति बनाने को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा गया है हिंसक उग्रवाद जो आतंकवाद का सहायक है उसे रोकने के लिए युवाओं, महिलाओं, परिवारों ,धार्मिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नेतृत्व को सशक्त करना होगा तथा अन्य सभी संबंधित सामाजिक समूह को सशक्त करने के साथ ही ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे ए हिंसक उग्रवाद खत्म हो एवं सामाजिक समावेश के साथ एकजुटता आए,

वियोजन तथा पुनः एकीकरण

17. उन को बढ़ावा देते हुए जो निःशस्त्रीकरण सैन्य वियोजन तथा पुनः एकीकरण के लिए योजनाबद्ध हैं और युवाओं जोश सशस्त्र संघर्षों से लड़े हैं की आवश्यकताओं को समझते हुए कुछ पहलू निम्न हैं

अ) युवाओं को साक्ष आधारित लिंग संवेदनशीलता रोजगार अवसर श्रम नीतियों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएं तथा युवाओं के लिए रोजगार की निजी क्षेत्र के साथ कार्य योजना तथा युवाओं की भागीदारी का विकास हो युवाओं की शिक्षा में भूमिका रोजगार में प्रभाव हीनता को बचाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए,

ब) युवाओं की क्षमताओं तथा कौशल का विकास करना ताकि वे श्रम की मांग को शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सके और उनके द्वारा शांति निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा मिल सके,

स) युवा नेतृत्व की शांति निर्माण संस्थाओं तथा युवा रोजगार एवं उद्यमिता कार्यक्रम के साथ सहभागिता हो,

18. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत लिए गए कारकों युवाओं सहित जनसंख्या पर प्रभाव को तत्परता से देखा जाए ,

अगला पड़ाव

19. संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं प्रति वेदिका प्रमुख राजपूतों तथा महासचिव के प्रतिनिधियों जिन में मुख्यता महासचिव के युवा प्रतिनिधि शरणार्थी प्रतिनिधि सम्मिलित हो जिनसे सशस्त्र संघर्ष के दौरान युवाओं के साथ समन्वय तथा बातचीत की जाए,

20. महासचिव से निवेदन है कि कार्य प्रगति का अध्ययन करें जिस में युवाओं की शांति व्यवस्था संघर्ष समाधान में सकारात्मक भूमिका का अध्यन हो तथा उस पर मिली प्रतिक्रियाओं की भी जानकारी हो, आगे महासचिव से अनुरोध किया गया है कि अध्ययन के परिणाम निकाल ले जाएं और सदस्य राज्यों समक्ष प्रस्तुत किए जाए,

21. महासचिव से और निवेदन है परिस्थिति के अनुसार रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए और परिषद के समक्ष युवाओं जोकि सशस्त्र संघर्ष में हैं उनके लिए एजेंडा तय हो तथा सुरक्षा भागीदारी सहभागिता रक्षा वियोजन तथा पुनः एकीकरण में युवाओं के योगदान एवं संबंधित उपायों को संकल्प में सम्मिलित किया गया है

22. इस मामले के सक्रिय रुप से सीज़ रहने का फैसला

We thank our UN Online Volunteer Akhilesh Kumar Pandey for the translation of this document into Hindi.